

**4TH FARE FIXATION COMMITTEE
DELHI METRO RAIL CORPORATION LTD.
Metro Bhawan, Fire Brigade Lane, Barakhamba Road,
New Delhi – 110 001**

June 14, 2016

NOTICE TO GENERAL PUBLIC

In exercise of powers conferred under section 34 (1) of the Delhi Metro Railway (Operation & Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government vide order dated 27.05.2016, has constituted 4th Fare Fixation Committee for the purpose of recommending to the Metro Railway Administration the fare for the carriage of passengers by the metro railway on the Delhi Mass Rapid Transit System Project and its extension to National Capital Region.

A proposal for revision in existing fare structure is under examination of the 4th Fare Fixation Committee. Suggestions/representations, if any, for the above from the metro users, stake holders and general public is solicited. All interested persons may send their suggestions in writing addressed to the Chairman, Fare Fixation Committee on the above address or through the electronic mode (e-mail) on 4thffc@dmrc.org on/or before 30th June, 2016 for consideration of the Committee.

Sd/-

**Justice M. L. Mehta (Retd.)
Chairman
Fare Fixation Committee/DMRC**

चतुर्थ किराया निर्धारण समिति
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली-110001

14 जून, 2016

सार्वजनिक नोटिस

दिल्ली मेट्रो रेलवे (परिचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 34(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 27.05.2016 के आदेश के तहत मेट्रो रेलवे प्रशासन को दिल्ली बृहत द्रुत पारवहन प्रणाली परियोजना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक इसके विस्तार पर मेट्रो रेलवे द्वारा सवारियों की ढुलाई के लिए किराया संस्तुत करने के प्रयोजन हेतु चतुर्थ किराया निर्धारण समिति गठित की है।

विद्यमान किराया संरचना में संशोधन का एक प्रस्ताव चतुर्थ किराया निर्धारण समिति के विचाराधीन है। मेट्रो प्रयोगकर्ताओं, पणधारियों और जन सामान्य से उपर्युक्त के लिए सुझाव/अभ्यावेदन, यदि कोई हों, आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक सभी व्यक्ति अध्यक्ष, किराया निर्धारण समिति को संबोधित लिखित में अपने सुझाव उपर्युक्त पते पर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 4thffc@dmrc.org ई-मेल पर समिति के विचारार्थ 30 जून, 2016 तक या उससे पहले भेज दें।

हस्ताक्षर/-

न्यायमूर्ति एम.एल. मेहता (सेवानिवृत्त)
अध्यक्ष,
किराया निर्धारण समिति/डीएमआरसी